भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1859
मंगलवार, 11 मार्च, 2025/20 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

पेट्रोल/डीजल पंपों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पीएसीएस

#1859. श्री प्रदीप कुमार सिंहः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री आलोक शर्माः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्री नव चरण माझीः
श्री गजेन्द्र सिंह पटेलः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसीएस) के पेट्रोल/डीजल पंपों और एलपीजी वितरण एजेंसियों के लिए आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में पीएसीएस की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पात्रता मानदंडों में कोई छूट दी गई है;

(ग) पीएसीएस को ईंधन स्टेशन स्थापित करने और संचालित करने के लिए भूमि और भंडारण सुविधाओं सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) पीएसीएस को पेट्रोल/डीजल पंपों और एलपीजी वितरण एजेंसियों को संचालित करने की अनुमति देने से किसानों और ग्रामीण समुदायों को क्या लाभ होगा?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी हां, मान्यवर । सरकार ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) को खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रचालन की अनुमति प्रदान कर दी है । खुदरा पेट्रोल/डीज़ल डीलरशिप के लिए कंबाइंड कैटेगरी 2 और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कंबाइंड कैटेगरी, जिसके अंतर्गत 1% आरक्षण प्रदान किया जाता है, में पैक्स को प्राथमिकता देने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने दिशानिर्देशों में संशोधन किया है । इसके अलावा, पैक्स को अपने थोक उपभोक्ता पंप को खुदरा

आउटलेट में रूपांतरित करने के लिए भी वन-टाइम विकल्प दिया गया है जिसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं ।

खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा जारी विज्ञापनों पर पैक्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो आवेदन की प्रकिया को आसान बनाती है । आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने और पूरी प्रक्रिया की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं ।

(ग): दिशानिर्देशों में उल्लिखित पात्रता मानदंड के अनुसार पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रचालन के लिए पंजीकरण, भूमि की उपलब्धता और वित्तीय स्थिति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है । तदनुसार, इन शर्तों को पूरा करने वाले पैक्स पर तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा चयन हेतु विचार किया जाता है ।

(घ): पैक्स को पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट और एलपीजी वितरण एजेंसियों के प्रचालन की अनुमति प्रदान करने से किसानों और ग्रामीण समुदायों को कई लाभ मिलते हैं। इस पहल का लक्ष्य सुदूर क्षेत्रों में इंधन की उपलब्धता बढ़ाकर कृषि यंत्रों के लिए इंधन की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना है और फलत:, किसानों के लिए प्रचालनात्मक विलंबता और लागत को घटाना है । पैक्स द्वारा संचालित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का लक्ष्य ग्रामीण घरों को किफायती और सुलभ रसोई गैस प्रदान कर उनके जीवनयापन के स्तरों में सुधार लाना है। इसके अतिरिक्त, ये व्यवसाय पैक्स के लिए राजस्व के नए स्रोतों का सृजन करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन कर उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगे । यह पहल ग्रामीण आर्थिक विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है जो ग्रामीण आजीविका और अवसंरचना को बेहतर बनाने में सहकारी समितियों की भूमिका को सशक्त करती है ।

*****